रजिस्ट्री सं० डी.एल.—33004/95

REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 565] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 1995/आश्विन 6, 1917
No. 565] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1995/ASVINA 6, 1917

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1995
(आयकर)

का० आ० 815(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ठ की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि०, शिलांग द्वारा जारी किए गए बत्तीस करोड़ अस्सी लाख रुपये की कुल धनराशि के प्रत्येक 1000 रु० के 0200001 से 0430000 तक, बी-0190001 से बी-0268000 तक और बी-0768001 से 0788000 की विशिष्ट संख्या वाले 7 वर्षीय 15 प्रतिशत (कराधेय) प्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय बंधपत्रों को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है ।

[अधिसूचना सं० 9873/फा० सं० 178/7/94-आयकर नि०-I]
एच० के० चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1995
(INCOME-TAX)

S.O. 815(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of

1961), the Central Government hereby specifies the 7 years 15% (Taxable) Secured Redeemable Non-convertible Bonds bearing distinctive numbers from 0200001 to 0430000, B-0190001 to B-0268000 and B-0768001 to 0788000 of Rs. 1000 each aggregating for an amount of Rupees thirty two crores and eighty lakhs only issued by North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong for the purpose of the said clause.

[Notification No. 9873/F. No. 178/7/94-ITA-I]
H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1995
(आयकर)

का॰ आ॰ 816(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग द्वारा जारी किए गए उनचास करोड़ पचास लाख रुपये के कुल धनराशि के प्रत्येक 1000·00 रु॰ के 0000001 से 0200000 तक, 0430001 से 0435000 तक, बी-0000001 से बी-0190000 तक और बी-0268001 से बी-0368000 की विशिष्ट संख्या के 10·5 वार्षिक कर-मुक्त प्रतिभूतित मोचनीय अपरिवर्तनीय बंधपत्रों को उक्त मद के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है ।

परन्तु उक्त मद के अंतर्गत लाभ केवल तभी अनुज्ञेय होगा यदि ऐसे बंधपत्रों का धारक अपने नाम और धृति को उक्त निगम के पास पंजीकृत कर देता है ।

[अधिसूचना सं 9874/फा॰ सं॰ 178/7/94-आयकर नि॰-I]
एच॰ के॰ चौधरी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1995
(INCOME TAX)

S.O. 816(E).—In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specified 10.5% per annum tax-free Secured Redeemable Non-convertible Bonds bearing distinctive numbers from 0000001 to 0200000, 0430001 to 0435000, B-0000001 to B-0190000 and B-0268001 to B-0368000 of Rs. 1000 each for an amount of Rupees forty nine crores and fifty lakhs only issued by North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong for the purpose of the said item.

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his name and the holding with the said Corporation.

[Notification No. 9874/F.No. 178/7/94-ITA-I]
H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995